झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार

निःशुल्क विधिक सहायता

देश के अधिकांश लोग निर्धन एवं अशिक्षित हैं जो सामाजिक न्याय से वंचित रह जाते हैं। न्यायालयों में मुकदमों की संख्या अधिक होने के कारण शीघ्र एवं सस्ता न्याय मिलना बहुत कठिन हो गया है।

संविधान के अनुच्छेद 39–क में हर नागरिक को सामाजिक न्याय प्रदान करने की बात की गई है, जिसके अनुसार कोई भी व्यक्ति आर्थिक या किसी अन्य कारण से न्याय से वंचित नहीं रह सकता है। हर नागरिक को समान अवसर के साथ–साथ आसानी से न्याय भी उपलब्ध होना चाहिए। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए 1987 में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के अंतर्गत केन्द्र, राज्य एवं जिला स्तर पर विधिक सेवा प्राधिकरणों एवं उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति / उप समिति एवं तहसील विधिक सेवा समिति का गठन किया गया है।

विधिक सेवा के अन्तर्गत प्रदान की जाने वाली सेवाएं

इसके अंतर्गत निम्नलिखित सेवाएं प्रदान की जाती हैं, जैसे :–

1. सरकारी खर्च पर वकील
2. कोर्ट फीस के लिए खर्च
3. अभिलेखों (कागजातों) को तैयार करने का खर्च
4. गवाहों को आने–जाने का खर्च
5. मुकदमें से संबंधित अन्य जरूरी खर्च

निःशुल्क विधिक सेवा पाने के हकदार

निम्नलिखित व्यक्ति निःशुल्क विधिक सेवा पाने के हकदार हैं, जैसे :–

- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्य
- अनैतिक अत्याचार के शिकार लोग या ऐसे लोग जिनसे बेगार कराई जाती है
- महिलाएं एवं बच्चे
- मानसिक रोगी एवं विकलांग व्यक्ति
- अनपेक्षित अभाव जैसे बहुविनाश, जातीय हिंसा, बाढ़, सूखा, भूकम्प या औद्योगिक विनाश में पीड़ित व्यक्ति या
- औद्योगिक श्रमिक
- कारागृह, किशोर, मनोचिकित्सा अस्पताल, मनोचिकित्सीय परिचर्या गृह में अभिरक्षा मे रखे गये व्यक्ति
- ऐसे सभी लोगों जिनकी वार्षिक आमदनी 1,00,000 रूपए से अधिक नहीं है।

विधिक सेवा कहां से प्राप्त कर सकते हैं और प्राप्त करने का तरीका

विधिक सेवा प्राप्त करने के हकदार व्यक्ति अपने संबंधित जिले के **सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण** अथवा **झारखण्ड उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के सचिव** को आवेदन पत्र सादे कागज या दिए गए प्रारूप पर अपने मुकदमे का संक्षिप्त विवरण लिखकर दे सकते हैं। अगर आवेदनकर्ता की वार्षिक आमदनी एक लाख रूपये से कम है तो ऐसे व्यक्ति को अपने आवेदन के साथ आय प्रमाण पत्र की कॉपी भी लगानी होगी। यदि आवेदनकर्ता अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का सदस्य है तो उसे अपने आवेदन के साथ जाति प्रमाण पत्र लगाना

CONTACT DETAILS OF DISTRICT LEGAL SERVICES AUTHORITIES, JHARKHAND

क्रम सं.	जिला विधिक सेवा प्राधिकार	एसटीडी कोड	दूरभाष संख्या	
			अध्यक्ष	सचिव
1.	बोकारो	06542	222488 (0), 222477 (F)	224015 (0)
2.	चाईबासा	06582	258600 (0), 256398 (F)	255236 (0)
3.	चतरा	06541	222841 (0), 222840 (F)	224637 (0)
4.	देवघर	06432	232450 (0), 232901 (F)	275496 (0)
5.	धनबाद	0326	233650 (0)	2311710 (0)
6.	दुमका	06434	222061 (0), 230667 (F)	290655 (0)
7.	गढ़वा	06561	223448 (0), 223542 (F)	222291 (0)
8.	गिरीडीह	06532	222171 (0)	250952 (0)
9.	गोड्डा	06422	222860 (0), 223986 (F)	223969 (0)
10.	गुमला	06524	223149 (0), 221469 (F)	291016 (0)
11.	हजारीबाग	06546	266354 (0), 266633 (F)	270926 (0)
12.	जमशेदपुर	0657	2431601 (0)	2443746 (0)
13.	जामताड़ा	06433	290777 (0), 222003 (F)	290837 (0)
14.	कोडरमा	06534	252515 (0), 252550 (F)	252900 (0)
15.	लातेहार	06565	247514 (0)	248536 (0)
16.	लोहरदगा	06526	222264(0), 222500(F)	222007 (0)
17.	पाकुड़	06435	220406 (0), 220460 (F)	221263 (0)
18.	पलामू	06562	225004 (0), 224075 (F)	231074 (0)
19.	राँची	0651	2202600 (0), 2202414 (F)	2961414 (0)
20.	साहेबगंज	06436	223095 (0), 222215 (F)	290105 (0)
21.	सरायकेला	06597	234201 (0)	234092 (0)
22.	सिमडेगा	06525	225710 (0), 225711 (F)	226471 (0)

अधिक जानकारी हेतु सम्पर्क करें:

न्याय सदन, झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार
ए०जी० ऑफिस के समीप, डोरण्डा, राँची, फोन : 0651–2431520, 2482392, फैक्स : 0651–2482397

अथवा

अपने जिले के व्यवहार न्यायालय स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकार